फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी एसआरईआई इक्विपमेन्ट फाईनेन्स लिमिटेड कोलकाता एवं कार्यालय जोधपुर।		1. खुश इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, 94–95 मानजी का हाठा पावटा, जोधपुर एवं ऑफिस नं. 3, जय कृष्णा मार्केट, आरसी मार्ग, नियर मोनो रेलवे स्टेशन चेम्बर (पूर्व) मुम्बई। 2. श्री हीराराम पुत्र श्री किशनाराम निवासी भीलों की ढाणी, ढेंचू तहसील शेरगढ जिला जोधपुर। 3. श्री मुफतसिंह राव पुत्र श्री ओमसिंह निवासी 6– जालम विलास स्कीम, पावटा बी रोड, जोधपुर। 4. श्री लोकेन्द्रपालसिंह पुत्र श्री अशोकसिंह निवासी पुराना नारता रोड, राव का मोहल्ला, भीनमाल जिला जालोर। 5. श्री प्रेमसिंह राव पुत्र श्री मुफतसिंह राव निवासी 6– जालम निवास, पावटा बी रोड जोधपुर।

किस्म मुकदमा– **सरफेस प्रार्थना पत्र** मुकदमा नं. 14 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.04.2025	प्रार्थी की ओर से जरिए अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत ऋणी, जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द कराने हेतु पेश किया, जो विचारार्थ ग्रहण करने के सम्बन्ध में Admit Stage पर लम्बित है। तदुपरान्त प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को पुनः नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ वापस लेने का निवेदन किया है, प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को Admit Stage (विचारार्थ ग्रहण करने के स्तर) पर ही खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Alpa Choudhary Date: 2025.09.19 18:01:02 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner